न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2479-PBR/12

शकील रज़ा आयु वयस्क
आत्मज श्री सैयद् गजनफर हुसैन
निवासी एच.आई.जी.-01, सरस्वती नगर,
जवाहर चौक, भोपाल। --00-- आवेदक।

विरूद्ध

1. प्रदीप अग्रवाल आत्मज स्व. श्री वाय.डी.अग्रवाल
2. सुनील अग्रवाल आत्मज स्व. श्री वाय.डी.अग्रवाल
3. बिजेन्द्र कुमार जैन आत्मज स्व. श्री सिरेमलजी जैन
4. श्रीमती अनिता जैन पत्नी श्री ब्रिजेन्द्र कुमार जैन
   निवासीगण सी-179, कोहेफिजा, भोपाल।
5. मेसर्स करूणा इन्वेस्टर्स द्वारा भागीदारगण
   (1) श्री अमरनाथ ढ़ींगरा पुत्र श्री रामप्यारा ढ़ींगरा
   निवासी ई-एच-6, नेहरू नगर, भोपाल।
   (2) श्री आशुतोष जोशी पुत्र श्री एम.जी.जोशी
   निवासी 131/3, भवानी काम्पलेक्स,
   ई-7, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। --00-- अनावेदकगण।

6-8-12
2.10 P.M

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता

आवेदक द्वारा वर्तमान निगरानी अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक 101/अपील/2011-12 (प्रदीप अग्रवाल व अन्य विरूद्ध शकील रज़ा व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 31.07.2012 से व्यथित होकर वर्तमान निगरानी निम्नलिखित ठोस एवं वैधानिक आधारों पर विधिवत् समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

!! प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य !!

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक के मालिकी एवं स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम गेहूंखेड़ा पटवारी हल्का नम्बर 28, तहसील हुजूर जिला भोपाल की कुल रकबा 1.87 हेक्टेयर है जिसका खसरा क्रमांक 80 रकबा 0.48 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 274/1 रकबा 0.08 हेक्टेयर,

2......

Shakeel Raza

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2479-पीबीआर/12 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-4-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 30-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । उभय पक्ष को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	